राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/11 एच   जयपुर, दिनांक : 31.10.01

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6 (179) परि/टैक्स/एच.क्यू/95/11जी, दिनांक 22.07.2000 में दिनांक 01.11.2001 से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

<u>संशोधन</u>

उक्त अधिसूचना में,

1. खण्ड 2 में, विद्यमान उप–खण्ड (v),(vi),(vii) और (viii) और उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

"(v) ड्राईवर और कण्डक्टर को छोड़कर 13 से अधिक और ड्राईवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 तक की सीट क्षमता वाले	
(1) चैसिस के रूप में क्रय किये गये	चैसिस की लागत का 16%
(2) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 14%
(vi) ड्राईवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 से अधिक और ड्राईवर और कण्डक्टर को छोड़कर 30 तक की सीट क्षमता वाले	
(1) चैसिस के रुप में क्रय किये गये	चैसिस की लागत का 30%
(2) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 22%
(vii) ड्राईवर और कन्डक्टर को छोड़कर 30 से अधिक और ड्राईवर और कन्डक्टर को छोड़कर 40 तक की सीट क्षमता वाले	
(1) चैसिस के रुप में क्रय किये गये	चैसिस की लागत का 36%
(2) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये	यान की लागत का 22%
(viii) ड्राईवर और कण्डक्टर को छोड़कर 40 से अधिक सीट क्षमता वाले	
(1) चैसिस के रुप में क्रय किये गये	चैसिस की लागत का 36%
(2) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये	यान की लागत का 22%

2. अन्त में आये विद्यमान स्पष्टीकरण (ii) और (iii) हटाये जायेंगे ।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव